न्यायालय— व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1, गोहद जिला भिण्ड (म०प्र०) {समक्ष—अमित कुमार गुप्ता}

व्यवहार वाद क0 38 ए/2017 संस्थित दिनांक 27.03.15

सुल्तान खां पुत्र सत्तार खाँ आयु 54 साल जाति मुसलमान निवासी ग्राम खितौली, परगना गोहद जिला भिण्ड म०प्र०वादी

विरुद्ध

- 1. सत्तार खां पूत्र मौहम्मद शरीफ खां आयु 82 साल
- 2. सुलमान खां पुत्र सत्तार खां आयु 32 साल
- आसमा बेगम पत्नी सुलेमान खां आयु 30 साल समस्त जाति मुसलमान, निवासीगण ग्राम खितौली परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0
- 4. म०प्र० शासन जरिये कलेक्टर भिण्ड म०प्र०

.....प्रतिवादीगण

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री दाताराम बंसल। प्रतिवादी क्रमांक 1 लगायत 3 की ओर से अधिवक्ता श्री के०के० शुक्ला। प्रतिवादी क्रमांक 4 पूर्व से एकपक्षीय।

:::: निर्णय :::: (आज दिनॉक 17.11.2017 को उद्घोषित)

यह वाद वास्ते स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा तथा विक्रयपत्र दिनांक 12.03.2015 को शून्य व निष्प्रभावी घोषित किए जाने बावत्, विवादित भूमि सर्वे क् 0 1544 रकबा 0.92 हे0 संपूर्ण रकबा एवं सर्वे क् 0 451 रकबा 0.42 हे0, 465 रकबा 0.27 हे0 में 1/4 भाग तथा सर्वे क 0 464 रकबा 0.21 हे0, 707 रकबा 0.26 हे0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.47 हे0 स्थित मौजा खितौली परगना गोहद जिला भिण्ड (जिसे अत्र पश्चात् ''विवादित भूमि' कहा जाएगा), के संबंध में प्रस्तुत किया गया है।

- 2. प्रकरण में स्वीकृत व उल्लेखनीय तथ्य है कि वादी व प्रतिवादी क0 2 सगे भाई होकर प्रति0क0 1 के पुत्र हैं। प्रतिवादी क0 3 प्रति0क0 2 की पत्नी व प्रतिवादी क0 1 की बहू है।
- 3. वाद पत्र के सुसंगत अभिवचन संक्षेप मे इस प्रकार से हैं कि विवादित भूमि वादी तथा प्रति०क० 2 के पिता व प्रति०क० 3 के ससुर प्रतिवादी क० 1 सत्तार के स्वामित्व व आधिपत्य की संपत्ति है। उक्त भूमि का वादी एवं उसके भाई प्रति०क० 2 के मध्य प्रतिवादी क० 1 ने

मौखिक रूप से रिश्तेदार एवं समाज के लोगों के समक्ष बंटवारा कर दिया था। जिसमें सर्वे क0 1544 रकबा 0.92 हे0 की भूमि प्रति0क0 1 व 2 के हिस्से में दी गयी थी, शेष विवादित भूमियों सर्वे क0 451 रकबा 0.42 हे0, सर्वे क0 465 रकबा 0.27 हे0 में 1/4 हिस्सा तथा सर्वे क0 464 रकबा 0.21 हे0, सर्वे क0 707 रकबा 0.26 हे0 का संपूर्ण भाग कुल किता 4 कुल रकबा 0.55 हे0 वादी के हिस्से में दिया गया था। उक्त बंटवारे के अनुसार वादी तथा प्रतिवादी क0 1 व 2 अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर खेती करते चले आ रहे हैं। वादी के रकबा 0.55 हे0 का विवाद है। प्रतिवादी क0 1 ने अवैधानिक रूप से सर्वे क0 1544 रकबा 0.92 का विकयपत्र दिनांक 30.07.2009 को वादी का हक मारते हुए मिथ्या रूप से कराया है जो कि वादी के हितों के प्रतिकूल है और शून्य व निष्प्रभावी है। उक्त संपूर्ण भूमि वादी एवं प्रतिवादी क0 2 के बाबा तथा प्रति0क0 1 के पिता मौहम्मद शरीफ खॉन के स्वामित्व व आधिपत्य की थी जिस पर वादी एवं प्रतिवादी क0 1 व 2 का हिस्सा है। वादी विवादित भूमि में कानूनी रूप से हकदार है और अपने हिस्से पर काबिज होकर कृषि कार्य करता है। दिनांक 15.03.15 को वादी विवादित भूमि पर अपने हिस्से की फसल देखने गया तो प्रति0क0 2 ने बताया कि उसकी पत्नी प्रति0क0 3 के पक्ष में विकयपत्र करा लिया है और इस जमीन पर मत आना, फसल प्रतिवादी क0 2 काटेगा तब वादी प्रतिवादी क0 1 के पास गया और पूछा तो प्रति०क0 1 ने वादी के हक व हिस्से से इंकार किया। तत्पश्चात् वादी ने दिनांक 24.03.15 को विक्रयपत्र की प्रमाणित प्रति प्राप्त की। प्रतिवादी क0 1 ने प्रति०क0 3 के पक्ष में दिखावटी, प्रतिफल विहीन तथा कब्जे कि बिना विक्रयपत्र किया है जो कि पूर्णतः गलत है, उसे विक्रय पत्र करने का अधिकार नहीं था। प्रति०क० 3 उक्त विकयपत्र के आधार पर नामांतरण कराने के लिए प्रत्यनशील है। नामांतरण कराने पर वादी का हित प्रभावित होगा। अतः स्वत्व घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं विक्रयपत्र को शून्य घोषित किए जाने की सहायता चाही गयी है।

4. प्रतिवादी क0 1 लगायत 3 की ओर से संयुक्त रूप से जबाव दावा प्रस्तुत कर वादपत्र के अभिवचनों का अंशतः प्रत्याख्यान करते हुए अभिवचन किया कि सर्वे क0 1544 रकबा 0.92 है0 की भूमि प्रति0क0 1 की होना असत्य है, शेष विवादित भूमि प्रति0क0 2 के स्वामित्व के होने में कोई आपत्ति नहीं हैं। वादी द्वारा घरू बंटवारे का गलत वर्णन किया है, जबिक बंटवारा दिनांक 18.12.08 को पंचों के समक्ष हुआ था जिसमें सर्वे क0 1765 और 1768 रूंद वाला खेत वादी ने बेचा था जिसके बदले प्रति0क0 2 को सर्वे क0 554 रकबा 0.92 है0 दिया गया था। सर्वे क0 451, 464 में 1/4 हिस्सा प्रति0क0 1 का तथा सर्वे क0 464 रकबा 0.21 एवं सर्वे क0 707 रकबा 0.26 है0 में से रकबा 0.09 है0 पुलिया में जाने से शेष रकबा 0.38 है0 रह जाता है। कुल रकबा 0.55 है0 जमीन प्रतिवादी क0 1 ने अपनी बहू प्रति0क0 3 के हक में विधिवत पंजीकृत विकयपत्र निष्पादित कराया जिसे वादी ने गलत रूप से विवादित लेख किया है। प्रति0क0 1 के पिता के नाम केवल सर्वे क0 707 रकबा 0. 26 है0 था, दूसरा सर्वे नंबर 464 प्रति0क0 1 की स्वअर्जित खरीदा गया इसलिए वादी का उक्त भूमि में कोई कानूनी अधिकार व कब्जा नहीं हैं, बल्कि प्रति0क0 3 का कब्जा वरताव है। प्रति0क0 2 व

वादी से किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं हुई। प्रति०क० 1 ने विधिवत प्रति०क० 3 अपनी बहू के पक्ष में पंजीकृत विकयपत्र निष्पदित किया है जिसके आधार पर नामांतरण की कार्यवाही तहसील न्यायाालय में संचालित है। वादी के पक्ष में कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। अतः वाद सव्यय निरस्त किए जाने की प्रार्थना की है।

3

5. उभय पक्षों के अभिवचनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा वाद प्रश्न निम्नानुसार विरचित किये गये, जिनका निष्कर्ष विवेचन उपरांत उनके समक्ष दिया जायेगा—

큙0	<u>वाद−प्रश्न</u>	<u>निष्कर्ष</u>
2	क्या भूमि सर्वे क0 451 रकबा 0.42 हे0 और भूमि सर्वे क0 465 रकबा 0.27 है0 पर 1/4 भाग और भूमि सर्वे क0 464 रकबा 0.21 है0 व भूमि सर्वे क0 707 रकबा 0.26 है0 स्थित ग्राम खितौली तहसील गोहद जिला भिण्ड, वादी को घरू बंटवारे में प्राप्त होने से वादी का स्वत्व है ?	''ना साबित''
2	क्या उक्त वादग्रस्त भूमि का प्रतिवादी क0 1 द्वारा वैध रूप से प्रतिवादी क0 3 के पक्ष में किया गया विकय पत्र दिनांकित 12.03.15 अधिकार विहीन होकर वादी के मुकाबले शून्य है ?	''ना साबित''
3	क्या उक्त वादग्रस्त संपत्ति पैतृक संपत्ति है ?	''ना साबित''
4	क्या उक्त वादग्रस्त संपत्ति पर वादी का आधिपत्य है ?	''ना साबित''
5	क्या क्त वादग्रस्त संपत्ति पर प्रतिवादीगण द्वारा अवैध रूप से वादी के आधिपत्य में हस्तक्षेप किए जाने का प्रयास किया जा रहा है ?	''ना साबित''
6	क्या उक्त वादग्रस्त संपितत को प्रतिवादी क0 3 द्वारा अवैध रूप से अपने नाम नामान्तरित करने का प्रयास किया जा रहा है ?	″ना साबित"
7	सहायता एवं व्यय ?	कण्डिका 13 एवं 14 के अनुसार वाद सव्यय निरस्त

<u>सकारण निष्कर्ष</u>

6. प्रकरण में वादी की ओर से सुल्तान खां वा०सा० 1, शब्बीर खाँ वा०सा० 2 को परीक्षित कराया गया है जबिक प्रतिवादीगण की ओर से प्रति० क्र01 सत्तार खां प्रति०क्र० 1, सुलेमान खां प्रति०सा० 2, वहीद खां प्रति०सा० 3 को परीक्षित कराया गया है। दस्तावेजों में वादी की ओर से खसरा पंचशाला संवत 2064—2068 की प्रमाणित प्रति प्र०पी० 1 व 2, धारा 80 सीपीसी का सूचनापत्र प्र०पी० 3, डाक रसीद प्र०पी० 4, विक्यपत्र दि० 12.03.15 की प्रमाणित प्रति प्र०पी० 5 के रूप में प्रस्तुत की गयी। जबिक प्रतिवादीगण की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दी गयी है।

वाद प्रश्न क0 1, 2 व 3 का निष्कर्ष

- तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु वादप्रश्नों का 7. एक साथ निराकरण किया जा रहा है। प्रकरण में वादी द्वारा विवादित भूमि उसकी पैतृक सम्पत्ति होने के आधार पर वादी को घरेलू बंटवारे में प्राप्त होने के संबंध में अभिवचन एवं शपथ पत्रीय साक्ष्य प्रस्तुत की है। सर्वप्रथम तो अभिकथित विवादित भूमि पैतृक सम्पत्ति होने के संबंध में प्रश्न से संबंधित विधि को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। जिसके अनुसार मुस्लिम विधि में अधीन कोई संयुक्त परिवार की अवधारणा नहीं होती है। ऐसी दशा में संयुक्त परिवार की पैतृक सम्पत्ति होने के संबंध में प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है इस संबंध में हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त सिद्धांत को न्याय दृष्टांग श्रीमती आजमबी (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि विरूद्ध रोशनबी व अन्य जे0टी0 2016 (6) एस0सी0 182 : 2016 (3) एस0सी0सी0डी0 1281 सू0को0 के पैरा नं0 13 में रेखांकित निम्नानुसार किया— "यह सत्य है कि मुस्लमानों में संयुक्त परिवारो की कोई अवधारणा नहीं होती है, किन्तु स्वर्गीय शैकॉजी को अपने जीवनकाल में विशेष रीति से अपनी सम्पत्ति को अपने बच्चों को देने का विकल्प था, जिसे उसने सही किया, जिससे कि ऐसे किसी विवाद से बचा जा सके, जो उसकी मृत्यु के पश्चात् उद्भूत हो सकता है। इस प्रकार के किये गये व्यवस्थापन के परिवार के सदस्यों द्वारा सम्यक् रूप से स्वीकार किया गया था कि उस पर कार्यवाही की गई थी। केवल इसके पश्वात् उक्त तथ्य का औपचारिक अभिलेख प्र0डी० ७ में स्वर्गीय शैकॉजी द्वारा बनाया गया था।"
- 8. इस मामले में जहां वादी द्वारा अपने अभिवचनों एवं साक्ष्य में सम्पूर्ण विवादित भूमि एक ओर संयुक्त परिवार की सम्पत्ति होने का तथ्य लेख किया है, वहीं शपथ पत्रीय साक्ष्य में कण्डिका 01 में विवादित भूमि प्रतिवादी क0 01 अर्थात् अपने पिता की भूमि स्वामित्व व आधिपत्य की होने का तथ्य लेख किया है। प्रकरण में वादी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जिसके आधार पर यह दिशंत होता हो कि विवादित भूमियाँ प्रतिवादी क0 01 को उनके पिता से मृत्यु उपरांत प्राप्त हुई हैं। जो दस्तावेज खसरा सम्वत् 2064 से 2068 प्रस्तुत किया गया है उसमें भी विवादित भूमि के सर्वे क0 1544, 464, 707 पर प्रतिवादी क0 01 को पिता का अंश प्राप्त हुआ हो, ऐसा अभिलेख से दिशंत नहीं है। सर्वे क0 451 के अंश भाग पर भी बतौर केता प्रतिवादी क0 01 का नाम अंकित है। ऐसे में विवादित भूमियों के सर्वे क0 प्रतिवादी क0 01 के स्वअर्जित सम्पत्ति के रूप में दिशंत हो रहे हैं। मौखिक साक्ष्य पर यदि दृष्टि डाले तो सुल्तान ब0सा0 01 अपने प्रतिपरीक्षण की किण्डिका 11 में कथन करता है कि " में नहीं बता सकता कि मेरे बाबा के नाम कौन—कौन से नम्बर थे।" साक्षी से इसी किण्डिका में यह सुझाव दिये जाने पर कि उसके पिता ने अपने जीवन में जीवन स्वंय खरीदी है और बाबा के नाम मात्र सर्वे क0 707 रकबा 0.26 था तो साक्षी द्वारा इस सुझाव से इंकार किया है और स्वतः कथन किया है कि पिता ने बाबा की जमीन बेचकर दूसरी भूमि खरीद ली। साक्षी अपने अभिसाक्ष्य में यह स्पष्ट नहीं करता है कि कितनी भूमि उसके दादा अर्थात् प्रतिवादी क0 01 के पिता

के पास रही थी। प्रतिवादी क0 01 सत्तार खॉ प्रति०सा० 01 अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 07 में कथन करते हैं कि उनके पास पिता की 03 बीघा तथा शेष 35 बीघा भूमि उन्होंने स्वयं खरीदी थी। इस प्रकार से सर्वप्रथम तो वादी द्वारा अभिकथित पैतृक सम्पत्ति के संबंध में कोई सारवान साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है बिल्क इस विपरीत विवादित भूमियों को पिता की स्वामित्व व आधिपत्य की होने का तथ्य लेख कराकर स्वीकृति प्रस्तुत की है जो कि उस पर वाध्यकारी है। साथ ही विधि के अधीन यदि प्रतिवादी सत्तार खॉ प्रति०सा० 01 के कथन में तीन बीघा जमीन उनके पिता की मान भी ली जाये तो भी वादी को उक्त 03 बीघा भूमि में कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता है।

5

- 9. बादी द्वारा उसके पिता अर्थात् प्रतिवादी क0 01 के मौखिक रूप से बंटवारे में सर्वे क0 1544 रकवा 0.92 को प्रतिवादी क0 01 व 02 के हिस्से में दिया जाना तथा शेष सर्वे कमांकों 451, 465, 464 तथा 707 में रकवा 0.55 है0 भूमि वादी को हिस्से में दिये जाने के संबंध में तथ्य लेख किया है। अभिकथित मौखिक बंटवारे में संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा सर्वप्रथम तो बंटवारे को मौखिक होने से इंकार किया बल्कि बंटवारा लिखित रूप में दिनांक 18.12.2008 को होने के संबंध में अभिवचन किया है। वादी की ओर से प्रस्तुत साक्षी सब्बीर खाँ ब0सा0 02 जो उसके समक्ष बंटवारे का कथन करता है वह प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 05 में बताता है कि दिनांक 18.12.2008 को घरेलू बंटवारा लिखित रूप में हुआ था जो उसकी हस्तिलिप में था जिसमें यह स्वीकार करता है वादी द्वारा 04 बीघा भूमि बेचने के बदले प्रतिवादी क0 02 को प्रतिवादी क0 01 पिता द्वारा 04 बीघा भूमि कुंए के पास दी गई थी। इस प्रकार से वादी साक्षी द्वारा लिखित बंटवारे को स्वीकार किया है। वादी सुल्तान खाँ स्वंय प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 09 में वर्ष 2008 में घरेलू बंटवारा लिखित में भाईयों की सहमति से होने का तथ्य स्वीकार किया गया है। इस प्रकार से स्वंय वादी ने भी लिखित बंटवारे को स्वीकार किया है। जिससे प्रतिवादीगण के अभिवचनों का समर्थन होता है। यद्यि प्रकरण में अभिकथित लिखित बंटवारा प्रस्तुत व प्रमाणित नहीं किया गया। ऐसी दशा में पारिवारिक रूप से पिता प्रतिवादी क0 01 द्वारा किया गया व्यवस्थापन प्रमाणित नहीं है।
- 10. प्रकरण में वादी द्वारा अभिवचन किया है कि प्रतिवादी क0 01 ने वादी के हक को मारते हुए सर्वे क0 451 रकबा 0.42, सर्वे क0 465 रकबा 0.27 के 1/4 भाग अर्थात् रकबा 0.17 एवं सर्वे क0 464 रकबा 0.21 एवं सर्वे क0 707 रकबा 0.26 में से 0.38 कुल रकबा 0.55 है0 का विकय प्रतिवादी क0 03 के पक्ष में प्र0पी0 05 के विकय पत्र दिनांक 12.03.2015 के माध्यम से कर दिया है। उक्त विकय पत्र को अपने हितों के प्रतिकूल शून्य व निष्प्रभारी होने का अभिवचन वादी ने किया है। उक्त सर्वे नं0 वादो को प्राप्त हुए थे इस संबंध में वादी के साक्ष्य से प्रमाणित नहीं है। साथ ही पारिवारिक व्यवस्थापन में वादी को उक्त सर्वे क0 की भूमि प्राप्त हुई हो, ऐसा भी प्रमाणित नहीं है। मुस्लिम विधि के अधीन सम्पत्ति के विभाजन का अधिकार नहीं होता है। जबकि विवादित भूमि प्रतिवादी क0 01 के स्वामित्व की राजस्व दस्तावेजों से दर्शित हो रही है। ऐसी दशा में वादी को भूमियों के संबंध में कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता है। चूंकि प्रतिवादी सत्तार खाँ प्रति०सा0 01 ने विकय पत्र के संबंध में

6

अभिपुष्टि की है, जो कण्डिका 04 में है। ऐसी दशा में वादी के हितों के प्रतिकूल विक्रय पत्र प्र0पी0 05 नहीं पाया जाता है और न ही वह शून्य घोषित किया जा सकता है। अतः वाद प्रश्न क0 01, 02, 03 का निष्कर्ष "ना साबित" के रूप में दिया जाता है।

//विचारणीय प्रश्न कमांक 4, व 5//

वादप्रश्न क्रमांक 1, 2 व 3 के विवेचन में यह तथ्य स्पष्ट रूप से न्यायालय के 11. समक्ष प्रमाणित है कि वादी की विवादित भूमि के संबंध में कोई स्वत्व नहीं है। जहां तक आधिपत्य का प्रश्न है तो स्वयं वादी द्वारा अपने अभिवचनों में स्वीकृति की गई है कि विवादित भूमियाँ उसके पिता प्रतिवादी क0 01 के स्वत्व व आधिपत्य की भूमियाँ है। उक्त स्वीकृति वादी के प्रति विबंधकारी है। साक्षी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 12 में यह स्वीकार करता है कि वह अपने हिस्से की भूमि पर खेती कर रहा है न कि प्रतिवादी क0 02 सुलेमान के हिस्से की भूमि पर यह कथन करता है कि उसे पिता से हिस्से से कोई भूमि नहीं मिली। फिर स्वीकार करता है कि अपने हिस्से की 04 बीघा भूमि विक्रय कर ली है जिसके एबज में 04 बीघा भूमि सुलेमान को मिल गई। वादी का आशय उसकी स्वीकृति से स्पष्ट होता है जो स्वीकार करता है वह पिता से और भूमि लेना चाहता है, इसीलिए दावा पेश किया है। इस प्रकार से वादी को प्राप्त हुई भूमि उसके द्वारा विक्रय किया जाना स्वीकार किया है और विनिर्दिष्ट किस शेष भाग पर उसका आधिपत्य है, इस संबंध में स्पष्ट अभिसाक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। वह न्यायालय में समक्ष कथित 04 बीघा जमीन के विक्रय के तथ्य को छिपाकर प्रस्तुत हुआ है। और पिता से और भूमियाँ लेने का आशय भी स्पष्ट हो रहा है। ऐसी दशा में अनिश्चित आधिपत्य के संबंध में कोई निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती है, साथ ही न्यायालय निषेधाज्ञा की सहायता साम्य पर आधारित होने से स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत हुए व्यक्ति को प्रदान करता है, जिसका वाद में अभाव है। इस प्रकार से वाद प्रश्न क0 04 एवं 05 का निष्कर्ष ''ना साबित'' के रूप में दिया जाता है।

वाद प्रश्न क0 6 का निष्कर्ष

12. प्रकरण में जहां प्रतिवादी क0 01 द्वारा प्रतिवादी क0 03 के पक्ष में किये गये विकय पत्र दिनांक 12.03.2015 प्र0पी0 05 के आधार पर प्रतिवादी क0 03 द्वारा अवैध नामांतरण कराये जाने हेतु प्रयासरत होने का तथ्य लेख किया है। इस संबंध में प्र0पी0 05 के विकय पत्र में प्रतिफल मूल्य 8 लाख 25 हजार रूपए में प्रतिवादी क0 01 द्वारा प्रतिवादी क0 03 को विकय पत्र निष्पादित किये जाने के संबंध में तथ्य लेख है। जो प्रतिफल मूल्य उपपंजीयक कार्यालय के बाहर प्रतिवादी क0 01 द्वारा प्राप्त कर लिया जाना उल्लेखित है। सत्तार खॉ प्रति0सा0 01 ने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 04 में इस तथ्य से इंकार किया कि उसने बिना प्रतिफल के विकय पत्र निष्पादित किया है। ऐसी दशा में प्रतिवादी क0 01 को विकय पत्र कराने का अधिकार था और प्रतिवादी क0 03 द्वारा प्र0पी0 05 के विकय पत्र के माध्यम से नामांतरण की कार्यवाही किया जाना उसके वैधानिक अधिकार में

RCS-A/00400016/2015

आता है न कि अवैध रूप से नामांतरण कराये जाने की श्रेणी में आता है। अतः वाद प्रश्न क0 06 का निष्कर्ष ''ना साबित'' के रूप में दिया जाता है।

सहायता एवं व्यय

- उपरोक्त विवेचन के आधार एवं तथ्यों व साक्ष्य की अधिप्रबलता के आधार पर वादी 13. विवादित भूमि सर्वे क0 1544 रकबा 0.92 हे0 संपूर्ण रकबा एवं सर्वे क0 451 रकबा 0.42 हे0, 465 रकबा 0.27 हे0 में 1/4 भाग तथा सर्वे क0 464 रकबा 0.21 हे0, 707 रकबा 0.26 हे0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.47 हे0 स्थित मौजा खितौली परगना गोहद जिला भिण्ड के संबंध में वाद प्रमाणित करने में असफल रहा हैं। अतः वाद सव्यय निरस्त किया जाता है।
- उभय पक्षों का वाद व्यय वादी वहन करेगा। अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर अथवा सूची अनुसार, जो भी कम हो, आज्ञप्ति में जोड़ी जाये।

तदनुसार आज्ञप्ति तैयार की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित, हस्ताक्षरित, मुद्रांकित व दिनांकित कर उद्घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया ।

(Amit kumar Gupta) Civil judge Class-1 Gohad distt.Bhind (M.P.)

(Amit kumar Gupta) Civil judge Class-1 ATTEMPTA FREEDRY TO FR Gohad distt.Bhind (M.P.)